न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 03/2025 दायर दिनांक 08.01.2025

वादी		प्रतिवादी
1. हाकिम सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी पालोट तहसील डीडवाना	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री नागपालसिंह एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.07.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पालोट में खेत खाता संख्या 397 खसरा सं0 1200/174 रकबा 3.2400 है. भूमि वादी के एकल खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि में वादी का नाम हाकम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह गलत दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम हाकिम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह जाति राजपुत निवासी पालोट है यही नाम वादी के समस्त दस्तावेजों में अंकित है। वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दसवीं की अंक तालिका, ड्राईविंग लाईसेंस, राशनकार्ड में यही नाम अंकित है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम पालोट में खेत खाता संख्या 397 खसरा सं0 1200/174 रकबा 3.2400 है. भूमि के वादी का नाम हाकमसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह के स्थान पर हाकिम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह अंकित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2025/338 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालोट के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 397 खसरा संख्या 1200/174 में खातेदार का नाम हाकमसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपुत निवासी पालोट दर्ज है जो कि विरासत के नामान्तकरण से दर्ज हुआ है। खातेदार के अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व पेन कार्ड में हाकमसिंह के हाकिमसिंह है। मौतबिरानों से पूछताछ करने पर बताया कि हाकमसिंह का वास्तविक नाम हाकिमसिंह है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद पालोट पटवार हल्का पालोट के खेत खसरा सं0 1200/174 में वादी हाकमसिंह पुत्र सवाईसिंह के स्थान पर हाकिमसिंह पुत्र सवाईसिंह दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम [illegible] वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 397 खसरा संख्या 1200/[illegible] में [illegible]दार का नाम हाकमसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपुत निवासी प[illegible] [illegible]ज है जो कि विरासत के नामान्तकरण से [illegible] [illegible] राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन ह[illegible] के सही अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

हाकिमसिंह होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। के अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद पालोट पटवार हल्का पालोट के खेत खाता संख्या 397 खसरा सं0 1200/174 रकबा 3.2400 है. भूमि में हाकमसिंह पुत्र सवाई सिंह के स्थान पर हाकिमसिंह पुत्र सवाई सिंह दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **10.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested